लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/विद्या/पी/51/ 133 भोपाल,दिनांक 26.02.2009

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :- 2009 की माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं का व्यवस्थित संचालन ।

विषयान्तर्गत दिनांक 03 मार्च 2009 से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की परीक्षाऐं आयोजित की जा रही है। इस हेतु मण्डल द्वारा यथासमय आवश्यक दिशा निर्देश आपको दिये जा चुके है। बोर्ड परीक्षाए पूर्णतः गोपनीयता तथा सुरक्षा के साथ सम्पन्न हों यह सुनिश्चित किया जाये। आवश्यकता अनुसार जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक का सहयोग भी निर्देशानुसार प्राप्त किया जाये। इस संबंध में निम्नानुसार बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे :-

1. यह सुनिश्चित कर ले कि सभी केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष नियुक्त हो चुके है। केन्द्राध्यक्षों को पर्याप्त सहयोग मिल सके इस हेतु संभाग/जिला अंतर्गत कार्यरत समस्त शैक्षणिक स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश देवें।
2. संभाग/जिला अंतर्गत जितने भी केन्द्र निर्धारित किये गये है प्रयास यह किया जाये कि सभी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण हो सके। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के केन्द्र निरीक्षण कर्ताओ एवं उडन दस्तों के लिए निर्देश वर्ष 2009 के अनुसार निरीक्षण कर्ता अधिकारियों द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर निरीक्षण हेतु प्रति केन्द्र प्रति सदस्य रूपये 25/-के मान से पारिश्रमिक देय होगा। इस प्रकार के निरीक्षण देयक सक्षम अधिकारी जिनके द्वारा निरीक्षण दल गठित किया गया है उनके द्वारा प्रमाणित होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

   सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को अधिकृत किया जाता है कि वे अपने संभाग अंतर्गत स्वयं तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के निरीक्षण दल गठित करे तथा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

5

इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी को भी अधिकृत किया जाता है कि वे स्वयं के तथा अधिनस्थ अधिकारियों के नेतृत्व में दल गठित कर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे।

3. निरीक्षण दल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शामिल नही किया जाये ।

4. परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दलों का गठन कर निरीक्षण कार्य इस प्रकार सौंपा जाये कि वे प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के कम से कम दो प्रश्न पत्रों में पूरे समय केन्द्र पर रह कर सघन निरीक्षण करे।

5. निरीक्षण के दौरान जिन केन्द्राध्यक्षों/पर्यवेक्षकों की गतिविधियाँ शंकास्पद प्रतीत हो उनके नाम, पद तथा पदस्थापना सहित शंकास्पद गतिविधियों विषयक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए संचालक लोक शिक्षण के नाम तत्काल विशेष पत्र प्रेषित किया जाये। जिससे उनके विरूध्द त्वरित कार्यवाही संभव हो सके।

6. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा परीक्षाओं की समाप्ति के तत्काल बाद मूल्यांकन कार्य प्रारंभ किया जाना है अतः यह सुनिश्चित करे कि मूल्यांकन कार्य हेतु आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हो सके।

(बी.आर.नायडू)
आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

पृ.क्रमांक/विद्या/पी/2009/ 134 भोपाल,दिनांक 26.02.2009

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।